# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

| मि0नं0 | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 84 / 2024 | 24.07.2024 | 28.02.2025 |

पीठासीन अधिकारी— दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1— छोटूलाल आ0 श्री शंकरलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम मोतीकुआं तहसील दीगोद,हाल निवासी हनुमान मन्दिर के पास हनुमान नगर जिला कोटा राज0
(वादी )

बनाम

1— राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
(प्रतिवादी)

वादी की ओर से — श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से — तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट बाबत नाम दुरूस्ती

## निर्णय

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :—

1— यह कि ग्राम मोतीकुआ तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शानलाती खाते में खाता संख्या 93 पुराना 150 खसरा न0 166 रकबा 1.28 है0, खसरा न0 194 रकबा 0.04 है0, खसरा न0 195 रकबा 0.17 है0, खसरा न0 197 रकबा 0.32 है0, खसरा न0 468 रकबा 0.40 है0, खसरा न0 469 रकबा 0.81 है0 कुल किता 6 रकबा 3.02 है0 भूमि जिसमें वादी का नाम छोटिया दर्ज है व ग्राम मोतीकुआ तहसील दीगोद में वादी के शामलाती खाते में खाता संख्या 163 पुराना 149 खसरा न0 530 रकबा 0.14 है0 कुल 1 किता रकबा 0.14 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमें वादी का नाम छोटू दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2074—77 संलग्न है।

2— यह कि वादी का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम छोटिया व छोटू के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम छोटूलाल है तथा समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम छोटूलाल है जिसमें वादी को सरकारी योजनाओं में किसान क्रेडिट कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

3— यह कि उक्त वादी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, पेनकार्ड, बेंक डायरी आदि में वादी का नाम छोटूलाल है वादी का नाम ग्राम मोतीकुआं की खाता संख्या नया 93 व पुराने 150 जमाबंदी में छोटिया दर्ज होने से व ग्राम मोतीकुआ खाता संख्या नया 163 पुराना 149 छोटू दर्ज होने से वादी को सरकारी योजनाओं का लाभ व भूमि सुधार के लिये किसान केडिड कार्ड लेने से वंचित हो रहा है वादी को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम दुरूस्त कराने का कानून अधिकार है इसलिए वादी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

कॉपी प्रति प्रमाणित
उपखण्ड अधिकारी
(एस० डी० एम०) दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

4— यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम छोटूलाल के स्थान पर छोटिया व छोटू दर्ज कर दिया है जो गलत है। उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम छोटिया व छोटू के स्थान पर छोटूलाल दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है इस संबंध में मैं वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 05.07.2024 को निवेदन करने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

5— यह कि वाद कारण दिनांक 05.07.2024 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त नहीं करने की कहने पर पैदा हुआ।

6— यह कि प्रतिवादी भूमि की लेण्ड हॉल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

7— यह कि उपरोक्त मामला अर्जेन्ट नेचर एवं इमीजिएट रिलीफ से संबंधित होने के कारण प्रतिवादी को धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस नहीं दिया गया है। वाद पत्र के साथ नोटिस पेश किया गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की सादर निर्णय एवं डिक्री पारित फरमायी जावे कि:—

1— कि ग्राम मोतीकुआ तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती खाते में खाता संख्या 93 पुराना 150 खसरा न0 166 रकबा 1.28 है0, खसरा न0 194 रकबा 0.04 है0, खसरा न0 195 रकबा 0.17 है0; खसरा न0 197 रकबा 0.32 है0, खसरा न0 468 रकबा 0.40 है0, खसरा न0 469 रकबा 0.81 है0 कुल किता 6 रकबा 3.02 है0 भूमि जिसमें वादी का नाम छोटिया के स्थान पर छोटूलाल दर्ज किया जावे व ग्राम मोतीकुआ तहसील दीगोद में वादी के शामलाती खाते में खाता संख्या 163 पुराना 149 खसरा न0 530 रकबा 0.14 है0 कुल 1 किता रकबा 0.14 है0 भूमि में छोटू के स्थान पर छोटूलाल दर्ज किया जावे व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है:—

1— नकल जमाबन्दी ग्राम मोतीकुआ सम्वत 2074—77

2— नकल छाया प्रति बैंक पासबुक व आधार कार्ड

सत्य प्रति प्रमाणित
उपखण्ड अधिकारी
(एस० डी० एम०) दीगोद

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब सरकार में संलग्न पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट किया है कि छोट्या पुत्र शंकर व छोटूलाल पुत्र शंकर दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। जवाब सरकार प्राप्त होने के उपरान्त पत्रावली को साक्ष्य में नियत किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य में छोटूलाल पुत्र शंकरलाल जी निवासी मोतीकुआं हाल हनुमान नगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये जो शामिल किये जाकर पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। प्रकरण में वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड तथा संलग्न दस्तावेज तथा जवाब सरकार एवं वादीगण के अधिवक्ता की बहस का अवलोकन किया गया। वादी का नाम छोट्या अथवा छोटू के स्थान पर छोटूलाल दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**उपखण्ड अधिकारी**
**दीगोद, जिला कोटा (राज.)**

मूल वाद मे डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी— दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1— छोटूलाल आ0 श्री शंकरलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम मोतीकुआं तहसील दीगोद,हाल निवासी हनुमान मन्दिर के पास हनुमान नगर जिला कोटा राज0

(वादी )

बनाम

1— राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से — श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से — तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा,व नाम दुरूस्ती

मिसल नं 84 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि — : ग्राम मोतीकुआ तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती खाते में खाता संख्या 93 पुराना 150 खसरा न0 166 रकबा 1.28 है0, खसरा न0 194 रकबा 0.04 है0, खसरा न0 195 रकबा 0.17 है0, खसरा न0 197 रकबा 0.32 है0, खसरा न0 468 रकबा 0.40 है0, खसरा न0 469 रकबा 0.81 है0 कुल किता 6 रकबा 3.02 है0 भूमि जिसमें वादी का नाम छोटिया के स्थान पर छोटूलाल व ग्राम मोतीकुआ तहसील दीगोद में वादी के शामलाती खाते में खाता संख्या 163 पुराना 149 खसरा न0 530 रकबा 0.14 है0 कुल 1 किता रकबा 0.14 है0 भूमि में छोटू के स्थान पर छोटूलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पारित निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 28.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुदई | रूपयै | पैसे | मुदांलयह | रूपये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनामा | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| स्टाम्प वजूह सबूत | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| महन्ताना वकील | 0 | 0 | महन्ताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 | खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| बबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 | बबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 |
| मुत0 | 0 | 0 | मुत0 | 0 | 0 |
| मिलान | 0 | 0 | मिलान | 0 | 0 |

उपखण्ड अधिकारी (एस०डी०एम०) दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद